

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

पत्रांक 2689/14-10 (FP/UP/Trans/156518/2022) सहारनपुर दिनांक ०२.०४ - 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, रुड़की, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटेड फ़ाईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के०वी० डी/सी तल्लेड़ी टी०एस०एस०-जड़ोदा नरा, पारेषण लाइन निर्माण हेतु 0.1701 हे० संरक्षित वन भूमि (मुजफ्फरनगर वन प्रभाग) के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- (FP/UP/Trans/156518/2022))

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०४/४१/२०२३/एफ०सी०/१९७ दिनांक-23.06.2023, तथा पत्रांक 8बी/यू०पी०/०४/४१/२०२३/एफ०सी०/५४६ दिनांक-12.03.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 2909/14-1 दिनांक 30.03.2024

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30.03.2024 द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.06.2023 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति के शर्त संख्या 22 के क्रम में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.03.2024 द्वारा वांछित आख्या निम्नवत प्रेषित की गयी है:-

क्र०सं०	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	2	3
1	In view of Condition no 22 NOC's from Irrigation Department needs to be submitted.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 30.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय पत्रांक 2781/14-1 दिनांक 14.03.2024 द्वारा परियोजना प्रबन्धक डेडीकेटिड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०, मेरठ को प्रश्नगत अनापत्ति के निराकरण/अनुपालन हेतु पत्र लिखा गया (संलग्नक-1), तत्क्रम में परियोजना प्रबन्धक डेडीकेटिड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०, मेरठ के कार्यालय पत्रांक CPM/MTC/EL/EL/JA-TA, दिनांक 23.03.2024 (संलग्नक-2) द्वारा अवगत कराया गया है कि 132 के०वी० डी/सी तल्लेड़ी-जरौदानरा पारेषण लाइन किसी भी स्थान पर सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि/नहर/कैनाल से होकर नहीं जा रही है। अतः उक्त प्रस्ताव में लाइन निर्माण के लिये सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

अतः भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12.3.2024 द्वारा लगाई गई आपत्ति का अनुपालन उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(एन०के०जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक 2689/14-10 (FP/UP/Trans/156518/2022) दिनांकित।

1-प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2-प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, (विद्युत) DFCCIL मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू०पी०/०४/४१/२०२३/एफ०सी०/५४६ दिनांक-12.03.2024 के क्रम में उक्त अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।

(एन०के०जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक-2909/14-1(FP/UP/Trans/156518/2022)दिनांक, मुजफ्फरनगर, 30/03/2024 ।
सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रुडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटेड फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डी/सी तलहेडी टी0एस0एस0- जडौदा नरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि (मुजफ्फरनगर वन प्रभाग) के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ:-

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Trans/156518/2022

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का कार्यालय पत्रांक-8 वी0/यू0पी0/04/41/2023/एफ0सी0/197, दिनांक- 23.06.2023 तथा पत्रांक-8 वी0/यू0पी0/04/41/2023/एफ0सी0/546, दिनांक- 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का कार्यालय पत्रांक-3001/11सी, दिनांक-13.03.2024 तथा इस कार्यालय का पत्रांक-2781/14-1, दिनांक-14.03.2024 तथा परियोजना प्रबन्धक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, मेरठ का कार्यालय पत्रांक- CPM/MTC/EL/EL/JA-TA, दिनांक-23.03.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रुडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटेड फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डी/सी तलहेडी टी0एस0एस0- जडौदा नरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि (मुजफ्फरनगर वन प्रभाग) के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Trans/156518/2022 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या- 8 वी0/यू0पी0/04/41/2023/एफ0सी0/197, दिनांक-23.06.2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 01 से 28 तक कि अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक संख्या- 1621/14-1, दिनांक- 04.12.2023 द्वारा उच्च स्तर को प्रेषित की गयी थी। जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र दिनांक- 12.03.2024 द्वारा शर्त संख्या 22 में निम्न अभिलेख/जानकारी कि वांछना की गयी है:-

क्र०सं०	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1.	In view of Condition no.22 NOC's from Irrigation Department needs to be submitted.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गयी वांछना के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक- 2781/14-1, दिनांक- 14.03.2024 द्वारा परियोजना प्रबन्धक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, मेरठ को प्रश्नगत आपत्ति के निराकरण/अनुपालन हेतु पत्र लिखा गया (संलग्नक-1), तत्क्रम में परियोजना प्रबन्धक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, मेरठ द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- CPM/MTC/EL/EL/JA-TA, दिनांक- 23.03.2024 (संलग्नक-2) द्वारा अवगत कराया गया कि 132 के0वी0 D/C तलहेडी-जरौदानरा पारेषण लाइन किसी भी स्थान पर सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि/नहर/कैनाल से होकर नहीं जा रही है। अतः उक्त प्रस्ताव में लाइन के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

अतः जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र दिनांक- 12.03.2024 सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 22 में वांछित सूचना/जानकारी नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें। ताकि प्रकरण में अग्रोत्तर कार्यवाही की जा सकें।
संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संख्या 14-1 (FP/UP/Trans/156518/2022) दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, मेरठ ।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक- 2781/14-1(FP/UP/Trans/156518/2022)दिनांक, मुजफ्फरनगर, 14/03/2024 ।

सेवा में,

उप परियोजना प्रबन्धक विद्युत,
डेडिकेटेड फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया,
मेरठ।

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रुडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटेड फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डी/सी तलहेडी टी0एस0एस0- जडौदा नरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि (मुजफ्फरनगर वन प्रभाग) के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन के प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ:- ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Trans/156518/2022 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का कार्यालय पत्रांक-8 बी0/यू0पी0/04/41/2023/एफ0सी0/197, दिनांक- 23.06.2023 तथा पत्रांक-8 बी0/यू0पी0/04/41/2023/एफ0सी0/546, दिनांक- 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का कार्यालय पत्रांक-3001/11सी, दिनांक-13.03.2024 ।

जनपद मुजफ्फरनगर में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, रुडकी, उत्तराखण्ड द्वारा डेडिकेटेड फ्राईट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के रेलपथ कॉरीडोर हेतु 132 के0वी0 डी/सी तलहेडी टी0एस0एस0- जडौदा नरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु 0.1701 हे0 संरक्षित वन भूमि (मुजफ्फरनगर वन प्रभाग) के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 24 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Trans/156518/2022 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या- 8 बी0/यू0पी0/04/41/2023/एफ0सी0/197, दिनांक- 23.06.2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें आपके द्वारा समस्त देयको के जमा हो जाने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 01 से 28 तक कि अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित कि गयी थी। जिससे इस कार्यालय के पत्रांक संख्या - 1621/14-1, दिनांक-04.12.2023 द्वारा उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था।

उक्त के परिपेक्ष्य में आपके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों कि अनुपालन आख्या में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 12.03.2024 द्वारा शर्त संख्या 22 में निम्न अभिलेख/जानकारी कि वांछना कि गयी है:-

1. In view of Condition no.22 NOC's from Irrigation Department needs to be submitted.

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 22 के अनुपालन में सिचाई विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यावाही की जा सकें।

संलग्नक - यथोपरि।

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर।

संख्या 2781/(FP/UP/Trans/156518/2022) दिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर।



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

Ref No. -CPM/MTC/EL/EL/JA-TA/

Date: - 23.03.2024

सेवा में ,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पो. ऑफ इण्डिया लि. के रेलपथ कोरीडोर हेतु 132 केवी0 डी / सी तलहेरी- जरौदनारा पारेषण लाइन निर्माण हेतु वन प्रभाग में 0.1701 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बाधक 24 वृक्षों के पातन के संबंध में।

संदर्भ :- 1. ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/TRANS/156518/2022

2. पत्रांक संख्या 278/14-1 (FP/UP/TRANS/156518/2022) दिनांक 14.03.2024

महोदय,

132 केवी D/C तलहेरी-जरौदनारा पारेषण लाइन किसी भी स्थान पर सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि/नहर /कैनाल से होकर नहीं जा रही है । अतः इस लाइन के लिए सिंचाई विभाग से NOC प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ।

C/S
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

27/03/2024
महावीर सिंह
परियोजना प्रबन्धक
DFCCIL, मेरठ